रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 1999/अग्रहायण 9, 1921
No. 728] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 1999/AGRAHAYANA 9, 1921

SECRETARIAT LIBRARY

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1999

का. आ. 1194(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ पैंतालीसवां संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगें ।

2. भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम, 1961 की,-

(1) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) 'वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, ' क. वाणिज्य विभाग' उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 13 का लोप किया जाएगा ;

(ख) 'संचार मंत्रालय' शीर्ष के अधीन -

(i) 'क. दूरसंचार विभाग' उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 1 से 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् ;

1. दूरसंचार विभाग से संबंधित विषयों के बारे में अन्य देशों के साथ की गई संधियों और करारों का कार्यान्वयन ।

2. तार, टेलिफोन, बेतार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाओं के नीति, अनुज्ञापन और समन्वय संबंधी विषय तथा संचार के ऐसे ही अन्य रूप ।

3. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनके अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आई0टी0यू0), इसका इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन बोर्ड (आई0एफ0आर0बी0), रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर (आई0टी0यू0-आर), टेलीकम्युनिकेशन स्टेन्डर्डराइजेशन सेक्टर (आई0टी0यू0-टी0), डिवेलपमेंट सेक्टर (आई0टी0यू0-डी), इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट अर्गेनाइजेशन (इंटलसेट), इंटरनेशनल मोबाइल सेटेलाइट आर्गेनाइजेशन (इनमारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन (ए0टी0पी0) जैसे दूरसंचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं।

4. दूरसंचार में मानकीकरण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन ।

5. दूरसंचार में निजी निवेश का संवर्धन ।

6. दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।

7. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :

   (i) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाओं को सहायता, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता ; और

(ii) शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तियां मंजूर करना और व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं ।

8. दूर-संचार विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की उपाप्ति ।

9. दूरसंचार विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।

10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ।

11. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रशासन, अर्थात् :

(i) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) ।

(II) भारतीय बेतार-तारयांत्रिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) ; और

(Iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ।

12. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के प्रयोजन के लिए पूछताछ और आंकड़े ।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में फीस,किन्तु इसमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस सम्मिलित नहीं है ।

14. दूर-संचार आयोग ।

15. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ।';

16. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड ।" ;

(ii) 'ग. दूरसंचार सेवा विभाग' उप-शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 1 से 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

'1. दूरसंचार से संबंधित पूंजीगत बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन, जिसके अन्तर्गत भूमि का क्रय और अर्जन भी है ।

2. टेलीफोन, बेतार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाएं तथा संचार के ऐसे ही अन्य साधनों से संबंधित नीति तथा अनुज्ञापन के मामलों से भिन्न सभी मामले ।

3. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड़, विदेश संचार निगम लिमिटेड़ और टेलीकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड़ ।

4. दूरसंचार सेवा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।

5. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।

6. दूर-संचार सेवा विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की उपाप्ति ।

7. दूरसंचार सेवा विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

9. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के बाबत फीस किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।';

(ग) 'वित्त मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, 'क. आर्थिक कार्य विभाग' उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 78 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

'79. विदेशों में विभिन्न उद्योग स्थापित करने में सहायता के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व .'

(घ) 'अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, -

(I) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

'4. 25 मेगावाट की और उससे कम क्षमता की लघु/मिनी/सूक्ष्म हाइडल परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले ।';

(II) प्रविष्टि 9 के पश्चात् , निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

'10. भूतापीय ऊर्जा ।';

(ड़) 'विद्युत मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

'1. विद्युत शक्ति सेक्टर में साधारण नीति और ऊर्जा नीति से संबंधित मामले । (किसी सेक्टर, ईंधन, क्षेत्र और पारदेशीय प्रवाह को ध्यान में रखे बिना, ऐसी नीतियां बनाने, स्वीकार करने, कार्यान्वित करने और पुनर्विलोकन करने के संबंध में लघु, मध्यम और दीर्घावधिक नीतियों का ब्यौरा) ।

2. जल विद्युत शक्ति (25 मेगावाट क्षमता की और उससे कम की लघु/मिनी/सूक्ष्म हाइडल परियोजनाओं के सिवाय) और तापीय शक्ति तथा पारेषण प्रणाली नेटवर्क से संबंधित सभी मामले ।

3. जल विद्युत शक्ति और तापीय शक्ति तथा पारेषण प्रणाली नेटवर्क से संबंधित अनुसंधान, विकास और तकनीकी सहायता ।

4. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) का प्रशासन ।

5. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित सभी मामले ।

6. संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत परियोजनाएं और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय से संबंधित मामले ।

7. निम्नलिखित उपक्रमों, संगठनों, आदि से संबंधित मामले –

(क) दामोदर घाटी निगम ;

(ख) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (सिंचाई से संबंधित मामलों के सिवाय) ;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ;

(घ) राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ;

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ;

(च) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड ;

(छ) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ;

(ज) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड ;

(झ) टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड ;

(ञ) नाथपा झाकरी विद्युत निगम ;

(ट) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ;

(ठ) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ; और

(ड) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र ।

8. ऐसी परियोजनाओं से भिन्न, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को आबंटित की गई हैं, इस मंत्रालय के अंतर्गत सम्मिलित इस विषय से संबंधित अन्य पब्लिक सेक्टर उद्यम ।

9. विद्युत सेक्टर के संबंध में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी मामले

(च) 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, –

(i) 'क. ग्रामीण विकास विभाग' उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

'1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले।

2. प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण और पोषाहार कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों का केन्द्रीय उत्तरदायित्व

3. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सभी विषय हैं, उन पहलुओं को छोड़कर, जो पेयजल पूर्ति विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं ।

4. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

5. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

6. ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामले जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सड़कें भी हैं ।

7. असम के उन जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित सड़क संकर्म जो संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग-I और भाग-II में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. दि सेंटर फार इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट फार एशिया एंड पेसिफिक (सी0आई0आर0डी0ए0पी0) तथा एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (ए0ए0आर0आर0ओ0) के सहयोग से संबंधित सभी मामले ।

9. (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सभी विषय, जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए नीतियां और कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजूदरी या आय में वृद्धि भी है, तैयार करना और उससे संबंधित प्रशिक्षण देना ;

(ख) समय-समय पर बनाए गए ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ;

(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सूक्ष्म स्तर आयोजना तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा ।

10. समेकित ग्रामीण विकास जिसके अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, आदि भी हैं ।

11. ग्रामीण आवास, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और अनुषांगिक सभी मामले या ग्रामीण आयोजना जहां तक कि उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है ।';

(II) 'ग. पेयजल पूर्ति विभाग' उपशीर्ष के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियां 1 से 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

'1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के अधीन रहते हुए) मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिकरणों से संबंधित मामले भी हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पूर्ति, मल व्ययन, जल निकास और स्च्छता से है ।

3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

4. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं और मुद्दों से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय ।';

(छ) 'जनजाति कार्य विभाग'शीर्ष में 'विभाग' शब्द के स्थान पर 'मंत्रालय' रखा जाएगा ;

(ज) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात्:-

'25. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास ।

टिप्पण : अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और स्कीमों के संबंध में नीति, योजना, मानीटरी, मूल्यांकन, इत्यादि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की रहेगी । प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग अपने- अपने क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।

के.आर. नारायणन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/99-मंत्रि.]
वी.के. गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 1999

S.O. 1194(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty - fifth Amendment) Rules, 1999

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,

(1) in the Second Schedule, -

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)", entry 13 shall be omitted;

(b) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)" -

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOORSANCHAR VIBHAG)", for the entries 1 to 14, the following entries shall be substituted, namely:-

"1. Implementation of treaties and agreements with other countries relating to matters dealt with in the Department of Telecommunications.

2. Policy, Licensing and Coordination matters relating to telegraphs, telephones, wireless, data, facsimile and telematic services and other like forms of communications.

3. International relations in matters connected with telecommunications, including matters relating to all international bodies dealing with telecommunications such as International Telecommunication Union (ITU), its International Frequency Regulation Board (IFRB), Radio Communication Sector (ITU-R), Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), Development Sector (ITU-D), International Telecommunication Satellite Organization (INTELSAT), International Mobile Satellite Organization (INMARSAT), Asia Pacific Telecommunication (APT).

4. Promotion of standardization, research and development in telecommunications.

5. Promotion of private investment in Tele communications.

6. All matters relating to personnel under the control of the Department of Telecommunications.

7. Financial assistance for the furtherance of research and study in telecommunications technology and for building up adequately trained manpower for telecom programme, including-

   (i) assistance to institutions, assistance to scientific institutions and to universities for advanced scientific study and research; and

   (ii) grant of scholarships to students in educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of telecommunications.

8. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecommunications.

9. Financial sanctions relating to the Department of Telecommunications.

10. Telecom Regulatory Authority of India.

11. Administration of laws with respect to any of the matters specified in this list, namely:-

(i) The Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(ii) The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933); and

(iii) The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997).

12. Enquiries and statistics for purpose of any of the matters specified in this list.

13. Fees in respect of any of the matters specified in this list, but not including fees taken in any court.

14. Telecom Commission.

15. Indian Telephone Industries Limited.

16. Hindustan Teleprinters Limited.";

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF TELECOM SERVICES (DOOR SANCHAR SEVA VIBHAG)", for the entries 1 to 9, the following entries shall be substituted, namely:-

"1. Execution of works including purchase and acquisition of land debitable to the capital budget pertaining to telecommunications.

2. All matters other than policy and licensing relating to services of telephones, wireless, data, facsimile and telematic and other like forms of communications.

3. Mahanagar Telephone Nigam Limited, Videsh Sanchar Nigam Limited and Telecommunications Consultants (India) Limited.

4. All matters relating to personnel under the control of the Department of Telecom Services.

5. All matters relating to Centre for Development of Telematics (C-DOT).

6. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecom Services.

7. Financial sanctions relating to the Department of Telecom Services.

8. Enquiries and statistics for purpose of any of the matters specified in this list.

9. Fees in respect of any of the matters specified in this list, but not including fees taken in any court.";

(c) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", after entry 78, following entry shall be added, namely:-

"79. Nodal responsibility in relation to assistance in establishing various industries in foreign countries.";

(d) under the heading "MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)",-

(i) for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:-

"4. All matters relating to small/mini/micro hydel projects of and below 25 MW capacity.";

(ii) after entry 9, the following entry shall be added, namely:-

"10. Geothermal Energy.";

(e) under the heading "MINISTRY OF POWER (VIDYUT MANTRALAYA), for the existing entries, the following entries shall be sustituted, namely:-

"1. General Policy in the electric power sector and issues relating to energy policy. (Details of short, medium and long-term policies in terms of formulation, acceptance, implementation and review of such policies, cutting across sectors, fuels, regions and cross country flows).

2. All matters relating to hydro-electric power (except small/mini/micro hydel projects of and below 25 MW capacity) and thermal power and transmission system network.

3. Research, development and technical-assistance relating to hydro-electric and thermal power and transmission system network.

4. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) and the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

5. All matters relating to Central Electricity Authority, Central Electricity Board and Cen tral Electricity Regulatory Commission.

6. Rural electrification, power schemes in Union territories and issues relating to power supply in the States and Union territories.

7. Matters relating to the following Undertakings/Organisations, etc.:-

(a) The Damodar Valley Corporation;

(b) The Bhakra Beas Management Board (except matters relating to irrigation);

(c) National Thermal Power Corporation Limited;

(d) National Hydro-electric Power Corporation Limited;

(e) Rural Electrification Corporation Limited;

(f) North Eastern Electric Power Corporation Limited;

(g) Power Grid Corporation of India Limited;

(h) Power Finance Corporation Limited;

(i) Tehri Hydro Development Corporation;

(j) Nathpa Jhakri Power Corporation;

(k) Central Power Research Institute;

(l) National Power Training Institute;

(m) Energy Management Centre.

8. Other Public Sector Enterprises concerned with the subject included under this Ministry except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

9. All matters concerning energy conservation and energy efficiency pertaining to Power Sector.";

(f) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAM VIKAS MANTRALAYA)", -

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)", for the entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.

2. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.

3. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development, Council of Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) and National Fund for Rural Development, other than aspects which fall within the purview of Department of Drinking Water Supply.

4. Cooperatives relatable to the items in this list.

5. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

6. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

7. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam specified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

8. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO).

9. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto;

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment evolved from time to time.

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.

10. Integrated rural development including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, etc.

11. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.";

(ii) under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY (PEYA JAL POORTI VIBHAG)", for the entries 1 to 4, the following entries shall be substituted, namely :-

"1 Rural Water Supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas; International cooperation and technical assistance in this field.

2. Public cooperation, including matters relating to voluntary agencies in so far as they relate to rural water supply, sewage, drainage and sanitation in rural areas.

3. Co-operatives relatable to the items in this list.

4. Coordination with respect to matters relating to drinking water supply projects and issues which cover both urban and rural areas.";

(g) in the heading "MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (JANJATIYA KARYA VIBHAG)", for the word "VIBHAG", the word "MANTRALAYA" shall be substituted;

(h) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)", for entry 25, the following entry shall be substituted, namely:-

"25. Development of Scheduled Castes and Other Backward Classes.

NOTE: The Ministry of Social Justice and Empowerment will be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development for Scheduled Castes and Other Backward Classes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.".

K. R. NARAYANAN

PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/99-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.